CHHATTISGARH JUDICIAL SERVICE EXAMINATION (MAINS) 2023

Time: 3 hrs. **Marks: 100**

Instructions / निर्देश :
This question paper consists of three questions. Question No. 3 contains two translations. Attempt all questions.
इस प्रश्न-पत्र में कुल तीन प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में दो अनुवाद हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. Read the following carefully and write judgement after framing necessary issues :
निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा वादपद निर्मित करके निर्णय लिखें :

[40]

PLAINTIFF'S PLEADINGS / वादी के अभिवचन :

(i) Plaintiff 'P' filed a suit for recovery of Rs. 30,000/- with interest, with the pleadings, that on 10-11-2011 at Durg (Chhattisgarh), defendant 'D' who is a friend of his brother 'B', demanded Rs. 30,000/- for some domestic work. Plaintiff assuring the necessity of defendant to be genuine gave him Rs. 30,000/- cash with condition that defendant shall repay the loan on demand with simple interest @ 12% p.a. Defendant also executed one promissory note Ex.P.1 duly stamped stipulating the aforesaid agreed term in presence of witness 'W' (P. W.3) on the same date. After six months when plaintiff demanded the loan amount, defendant sought 15 days' time. Even after 15 days defendant tried to avoid the repayment of loan amount.
वादी 'P' ने ब्याज सहित 30,000/- रुपए की वसूली के लिए वाद इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया है कि दिनांक 10-11-2011 को दुर्ग (छत्तीसगढ़) में प्रतिवादी 'D', जो उसके भाई 'B' का मित्र है, ने किसी घरेलू कार्य के लिए 30,000/- रुपए की मांग की थी। वादी ने प्रतिवादी की आवश्यकता को उचित मानते हुए उसे 30,000/- रुपए इस शर्त के साथ दिए कि प्रतिवादी मांग पर ऋण की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित वापस करेगा। प्रतिवादी ने उसी दिनांक को उपरोक्त स्वीकृत शर्तों को सम्मिलित करते हुए गवाह 'W' (वा.सा. 3) की उपस्थिति में उचित स्टाम्प पर एक प्रॉमिसरी नोट प्र. पी. 1 भी निष्पादित किया। इसके छह माह बाद जब वादी ने ऋण की राशि की मांग की तो प्रतिवादी ने 15 दिवस का समय चाहा। 15 दिन के बाद भी प्रतिवादी ने ऋण की राशि के पुनर्भुगतान को टालने का प्रयास किया।

Thereafter plaintiff 'P' had sent a registered A.D. Notice Ex.P.2 through his advocate on 02-06-2012. In spite of receiving the notice defendant 'D' had neither replied nor repaid the loan amount with interest. Therefore, plaintiff has prayed to pass a decree in his favour and against the defendant 'D' for the loan amount and interest accrued so far up to the date of suit, i.e. 10-08-2012 and also prayed interest pendente lite and up to payment at contractual rate @ 12% p.a. and cost of the suit.
इसके पश्चात् वादी 'P' ने अपने अभिभाषक के जरिये दिनांक 02-06-2012 को रजिस्टर्ड ए.डी. सूचना पत्र प्र. पी. 2 भिजवाया। सूचना पत्र मिलने के बावजूद भी प्रतिवादी 'D' ने न उसका जवाब दिया और न ही ब्याज सहित ऋण की राशि को वापस लौटाया। अत: वादी ने ऋण की राशि, वाद प्रस्तुती दिनांक 10-08-2012 तक उपार्जित ब्याज के लिए वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञप्ति पारित करने की प्रार्थना की है और वाद के लंबित रहने और उसके उपरांत भुगतान तक की अवधि के लिए भी संविदात्मक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज और इस वाद का व्यय भी दिलवाए जाने की प्रार्थना की है।

Scan this QR Code to install the Linking App and get Full PDF of study material
Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is an institution for RJS, DJS, MPCJ, UP PCS J, HCS (JB), GJS, & Other State Judiciary and Law Exams.

DEFENDANT'S PLEADINGS प्रतिवादी के अभिवचन :

(ii) Defendant 'D' has denied the pleadings of the plaintiff and pleaded in his written statement that plaintiff's brother is not his friend, he has not taken any loan of Rs. 30,000/-, therefore payment of any interest thereon does not arise. He has not executed so-called promissory note in favour of plaintiff. Promissory note is forged document as he signs in Hindi whereas on promissory note his signatures are said to be in English. Further plaintiff is a moneylender and plaintiff has not complied with the basic requirements of the Chhattisgarh Moneylender Act, 1934. On this ground alone his suit is liable to be dismissed. Therefore, the suit is to be dismissed and special compensatory cost of Rs. 5,000/- as per Section 35A of C.P.C. be imposed on plaintiff for such false suit.

प्रतिवादी 'D' ने वादी के अभिवचनों को अस्वीकार किया है और अपने लिखित कथन में यह अभिवचन किया है कि वादी का भाई उसका मित्र नहीं है, उसने 30,000/- रुपए का कोई ऋण नहीं लिया है और इस कारण उस पर किसी ब्याज की अदायगी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। उसने कथित प्रॉमिसरी नोट वादी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है। प्रॉमिसरी नोट कूटरचित दस्तावेज है । वह हिन्दी में हस्ताक्षर करता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट पर उसके अंग्रेजी में हस्ताक्षर बताए गए हैं। इसके अलावा वादी साहूकार है और बादी ने छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 की मूल आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है और केवल इस आधार पर ही उसका वाद निरस्त किए जाने योग्य है। अतः वाद निरस्त करते हुए ऐसे असत्य वाद के लिए वादी पर धारा 35A, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार विशेष क्षतिपूर्ति व्यय 5,000 /- रुपए लगाए जाने की प्रार्थना की गई है।

PLAINTIFF'S EVIDENCE वादी का साक्ष्य :

(iii) Plaintiff has produced promissory note Ex. P.1, copy of notice Ex. P.2 along with postal receipt Ex. P.3 and acknowledgement Ex. P.4. Plaintiff 'P' (P.W.1) has deposed himself as P.W.1 and examined two other witnesses his brother 'B' (P.W.2) and witness of promissory note Ex. P.1, 'W' (P.W.3). All of them have supported the pleadings of plaint, execution of promissory note and signatures of defendant thereon. In cross-examination plaintiff 'P' and his witnesses denied the suggestion of defendant that plaintiff is a moneylender.

वादी ने प्रॉमिसरी नोट प्र. पी. 1, नोटिस की प्रति प्र. पी. 2 और उसके साथ पोस्टल रसीद प्र. पी. 3 एवं अभिस्वीकृति प्र. पी. 4 प्रस्तुत किए हैं। वादी 'P' (वा.सा. 1) ने स्वयं तथा दो अन्य साक्षियों अपने भाई 'B' (वा.सा. 2) एवं प्रॉमिसरी नोट प्र. पी. 1 के गवाह 'W' (वा.सा. 3) का परीक्षण करवाया है। उन सभी ने वादी के अभिवचनों का समर्थन कर प्र. पी. 1 के प्रॉमिसरी नोट का निष्पादन और उस पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर होना बताया है। अपने प्रतिपरीक्षण में वादी 'P' और उसके साक्षियों ने प्रतिवादी के इस सुझाव कि वादी साहूकार है, से इन्कार किया है ।

DEFENDANT'S EVIDENCE प्रतिवादी का साक्ष्य :

(iv) Defendant has produced his Ration Card Ex. D.1 on which his signatures are shown in Hindi. Defendant has examined himself as D.W. I and stated as per his pleadings, but in cross- examination he has admitted that he is a science graduate and having bank account in State Bank of India, Durg Branch. and therein his specimen signatures are given in English. He has also failed to furnish name of any other person to whom plaintiff has given any loan on interest.

प्रतिवादी ने अपना राशन कार्ड प्र. डी. 1 जिस पर उसके हस्ताक्षर हिन्दी में दर्शाए गए हैं, प्रस्तुत किया। प्रतिवादी ने स्वयं का परीक्षण प्र.सा.1 के रूप में कराया है और अपने अभिवचन के अनुरूप कथन किया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण में उसने यह स्वीकार किया है कि वह विज्ञान स्नातक है और उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दुर्ग शाखा में बैंक खाता है और उसमें उसके नमूने के हस्ताक्षर अंग्रेजी में दिए गए हैं। वह ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम प्रस्तुत करने में भी असफल रहा है, जिसको वादी ने ब्याज पर कोई ऋण दिया हो।

Scan this QR Code to install the Linking App and get Full PDF of study material
Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now
Linking Laws is an institution for RJS, DJS, MPCJ, UP PCS J, HCS (JB), GJS, & Other State Judiciary and Law Exams.

ARGUMENTS (PLAINTIFF) वादी का तर्क :

(v) Plaintiff has proved his case. He is not a moneylender. Thus, the plaintiff is entitled to relief as claimed against defendant.
वादी ने अपना वाद प्रमाणित किया है। वह साहूकार नहीं है। इस प्रकार वादी प्रतिवादी के विरुद्ध दावाकृत अनुतोष का अधिकारी है।

ARGUMENTS (DEFENDANT) / प्रतिवादी का तर्क :

(vi) The plaintiff has not proved loan transaction and execution of promissory note by defendant beyond reasonable doubt. Plaintiff is moneylender and has not complied with the provisions of the Chhattisgarh Moneylender Act, 1934 and this ground itself is sufficient to dismiss the plaintiff's suit. Thus, the plaintiff does not deserve to get any relief, rather the special compensatory cost be imposed on plaintiff as prayed.
वादी ने ऋण का संव्यवहार एवं प्रतिवादी द्वारा प्रॉमिसरी नोट का निष्पादन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। वादी साहूकार है और उसने छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है और यह आधार ही वादी का वाद निरस्ती के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार वादी किसी प्रकार के अनुतोष की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है, बल्कि वादी पर प्रतिवादी की प्रार्थना अनुसार विशेष क्षतिपूर्ति व्यय अधिरोपित किया जावे।

2. Read the following carefully and write judgement after framing the necessary charges: निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आरोप निर्मित करके निर्णय लिखें :

[40]

According to the complaint filed by Bharat Singh, his son Arvind was married to Manju, daughter of Laxmi Narayan on 07-11-2000. Indira is the sister-in-law of Arvind and Rajesh is his brother-in-law. Arvind committed suicide on 23-02-2002 by consuming Sulfas tablets. On 01-03-2002, when Bharat Singh and other family members entered into the room of Arvind to sprinkle Gangajal, they found a suicide note on the bed of the deceased. It was stated that Arvind committed suicide due to the behavior of Rajesh, Laxmi Narayan and Indira who made false allegations against deceased regarding demand of dowry. On September 2001 a Panchayat was held in the village at the instance of the accused during which the Rajesh slapped the deceased. Rajesh and his sister Indira used to threaten the deceased on telephone at the instance of their father Laxmi Narayan that his family members will also be implicated in a criminal case. Unable to withstand the harassment, the deceased took the extreme step of committing suicide and had his father-in-law, his brother-in-law and his sister-in-law responsible for his death. After completion of the investigation, a charge sheet against them has been filed in the court.
भरत सिंह द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार उसके पुत्र अरविंद का विवाह मंजू, पुत्री लक्ष्मीनारायण के साथ 07-11-2000 को हुआ था। इंदिरा, अरविंद की साली है और राजेश उसका साला है। अरविंद ने सल्फास की गोलियों का सेवन करके 23-02-2002 को आत्महत्या कारित कर ली थी। जब भरत सिंह एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने 01-03-2002 को गंगाजल छिड़कने के लिए अरविंद के कमरे में प्रवेश किया तब उन्होंने मृतक के बिस्तर पर एक सुसाइड नोट पाया था । उसमें यह अभिकथित पाया था कि अरविंद ने राजेश, लक्ष्मी नारायण एवं इंदिरा के व्यवहार के कारण आत्महत्या कारित की थी, जिन्होंने दहेज की मांग के संबंध में मृतक के विरुद्ध मिथ्या अभिकथन किये थे। उनके आग्रह पर गांव में एक पंचायत सितम्बर 2001 में आयोजित की गयी थी, जिसके दौरान राजेश ने मृतक को थप्पड़ मारा था। राजेश एवं उसकी बहन इंदिरा अपने पिता लक्ष्मी नारायण के ही आग्रह पर दूरभाष पर मृतक को धमकाया करते थे कि उसके पारिवारिक सदस्यों को भी दांडिक मामले में आलिप्त किया जायेगा । उत्पीड़न का सामना करने में असमर्थ होकर मृतक ने आत्महत्या कारित करने का अति कठोर कदम उठाया था और अपने ससुर, साले एवं साली को अपनी मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहराया था। अनुसंधान पूर्ण होने पर उनके विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

The version of the defence is that Arvind committed suicide due to unemployment and lack of income. Prosecution examined deceased father, deceased wife, doctor and investigating officer as oral evidence and in documentary evidence post-mortem report, viscera report and suicide note to prove his case.

प्रतिरक्षा पक्ष का यह कथन है कि अरविंद ने बेरोजगारी और आय के अभाव से उत्पन्न अवसाद के कारण आत्महत्या कांरित की थी। अभियोजन ने अपने पक्ष प्रमाणार्थ मृतक के पिता, पत्नी, चिकित्सक एवं अनुसंधान अधिकारी के कथन कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में शव परीक्षण रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट एवं सुसाइड नोट प्रस्तुत किये हैं।

3.

(i) Translate the following Hindi passage into English
निम्नलिखित हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :

[10]

यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सतर्क है कि जहां किसी व्यक्ति को दाण्डिक परिणामों का सामना करना है तो विलम्ब माफ करने के लिए आवेदन पर अति उदारता के साथ विचारण किया जाना चाहिये, किन्तु विलम्ब माफ करने के लिए किसी अभियुक्त के विहित अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है, किन्तु यदि वह परिसीमा अवधि के भीतर अपील न दाखिल करने के लिए सम्भाव्य स्पष्टीकरण देता है या यदि वह ऐसी अपील दाखिल करने में अपनी असमर्थता स्पष्ट करता है तो अपील दाखिल करने में विलम्ब को विलम्ब की अवधि पर ध्यान न देते हुए सदैव माफ किया जा सकता है, किन्तु, वर्तमान मामले में, भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपने आवेदन में आवेदक द्वारा समनुदेशित एकमात्र कारण यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय की घोषणा के पश्चात् उसे उसके अधिवक्ता द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वह अपील दाखिल कर देगा तथा आवेदक को सूचित कर देगा जैसे ही अपील का ज्ञापन तैयार हो जाता है। चूंकि आवेदक एक श्रमिक है तथा वह जीविका की खोज में मध्य प्रदेश राज्य से बाहर चला गया था, इसलिए वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका था तथा उसके पश्चात्, सहअभियुक्त ने भी उसे बताया था कि वह दोषमुक्त हो चुका है तथा इस प्रकार सद्भावी विश्वास के अधीन कि आवेदक भी दोषमुक्त हो गया है, 'इसलिए उसने परिसीमा अवधि के भीतर अपील नहीं दाखिल की थी।

(ii) Translate the following English passage into Hindi:
निम्नलिखित अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए :

[10]

The question for consideration in the present writ petition under Article 227 of the Constitution of India would be as under : Whether in a Lok Adalat, the requirement of payment of 15% of the cheque amount by way of cost in appeal, while compounding the offence punishable under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, as directed by the Supreme Court in Damodar S. Prabhu vs. Sayed Babalal H., (2010) 5 SCC 663, can be dispensed with on making out a plausible cause for waiver / reduction of the cost?
The petitioner herein was convicted by learned Judicial Magistrate 1st class, Bilaspur vide order dated 28-11-2018 for offence punishable under Section 138 of the Negotiable Instruments Act (hereinafter "the NI Act") with rigorous imprisonment of six months and he was also directed to pay a compensation to the extent of Rs. 1,70,000/- under Section 357(3) of the Cr.P.C. Questioning the said order, the petitioner herein preferred an appeal before the Court of Session. Learned 1st Additional Sessions Judge, Bilaspur, by its order dated 14-12-2018, directed the petitioner to deposit 50% of the awarded amount of compensation, while suspending his sentence. The order of the Sessions Judge was further challenged by the petitioner before this Court.